



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49658

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5427 वर्ष 2026

लैस मोहम्मद और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : वीरेंद्र कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सीएससी, पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और प्रत्यर्थी संख्या 4/गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा अपील संख्या 610/2025 में दिनांक 13.10.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है; साथ ही, प्रत्यर्थी संख्या 3-तहसीलदार, बंसी, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा वाद संख्या 4732/2024 में दिनांक 11.12.2024 को पारित आदेश को भी रद्द करने की प्रार्थना की है।
3. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह उठाया गया है कि उपर्युक्त आदेश, 'ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' (जो 2023 (1) एडीजे 154 में पारित निर्णय के पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे; अतः, ये आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत भी एक पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है, परंतु उसका पालन नहीं किया गया; यह तथ्य स्वयं आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है।
4. इस तथ्य को प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 3-तहसीलदार, बंसी, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 11.12.2024 को पारित आदेश और प्रत्यर्थी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 13.10.2025 को पारित आदेश, ऋषिपल (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, अतः वे रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3-तहसीलदार, बंसी, जिला सिद्धार्थनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में आज से चार महीने की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप एक नया आदेश पारित करें।

7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

11 मार्च, 2026

सकलैन

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)